प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2017**

विषय: अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत पूर्व संचालित केन्द्रीय योजना 'राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन' में गत वर्षों के दायित्व के भुगतान हेतु धनराशि रू0-16,73 हजार की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-254/बजट-आयोजनागत/2016-17 दिनांक 03.03.2017 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-670/ई-1/दस-2017, दिनांक-24.3.2017 पृष्ठांकन संख्या-165/58-2-2017-300(17)/2016 दिनांक: 28.03.2017 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-119-01-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में कोई प्रावधान न होने के फलस्वरूप लेखाशीर्षक 2401-119-04-0417-मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0-371907 हजार के सापेक्ष रू0-16,73 हजार (रूपया सोलह लाख तिहत्तर हजार मात्र) की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही रही धनराशि
10	**2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 01-केन्द्र प्रयोजित योजनाये-119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन**			
	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	1597	1597
	27- सब्सिडी	8370	76	76
	योग-	**8370**	**1673**	**1673**

(रूपया सोलह लाख तिहत्तर हजार मात्र)

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

6- उक्त संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

7- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

शकील अहमद सिद्दीकी
अनु सचिव।

<u>संख्या-03/2017/165(1)/58-2-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in